कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गढ़ी (राज0)

क्रमांक : एफ ( ) कोरोना/2021/394 दिनांकः 02/4/2021

—:: आदेष ::—
(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 द.प्र.स. 1973)

यतः मुझे अवगत कराया गया है कि गढ़ी उपखण्ड के राजस्व ग्राम भीमसोर में निवासरत 01 सदस्य, राजस्व ग्राम बोरी में निवासरत 01 एवं राजस्व ग्राम रैयाना में निवासरत 2 सदस्य के नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बिमारी से आस–पास के नागरिकों में उक्त संक्रमण की सम्भावना के मध्यनजर मानव जीवन के खतरे , स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है, एवं मै सन्तुष्ट हूँ, कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया गढ़ी उपखण्ड के

1. राजस्व ग्राम भीमसोर में सुभाषचन्द्र पिता माधवजी कलाल के मकान से खातु पिता धुला आदिवासी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,
2. राजस्व ग्राम बोरी में केलाश पिता रमेश पाटीदार के मकान की सीमा क्षेत्र,
3. राजस्व ग्राम रैयाना में गजेन्द्र पिता मोतीराम त्रिवेदी के मकान से विनोद पिता बापुलाल त्रिवेदी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,

में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मै अतुल प्रकाष, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य खतरे , स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए गढ़ी उपखण्ड के

1. राजस्व ग्राम भीमसोर में सुभाषचन्द्र पिता माधवजी कलाल के मकान से खातु पिता धुला आदिवासी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,
2. राजस्व ग्राम बोरी में केलाश पिता रमेश पाटीदार के मकान की सीमा क्षेत्र,
3. राजस्व ग्राम रैयाना में गजेन्द्र पिता मोतीराम त्रिवेदी के मकान से विनोद पिता बापुलाल त्रिवेदी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,

02/04/21

Scanned by CamScanner

में एवं राजस्व ग्राम खोडन में रघुनाथ नाई के मकान से आकाष भाटिया के मकान से होते हुए गोनजी पाटीदार के मकान तक की सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश देता हूँ कि :–

1 कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए गढी उपखण्ड के

1. राजस्व ग्राम भीमसोर में सुभाषचन्द्र पिता माधवजी कलाल के मकान से खातु पिता धुला आदिवासी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,
2. राजस्व ग्राम बोरी में केलाश पिता रमेश पाटीदार के मकान की सीमा क्षेत्र,
3. राजस्व ग्राम रैयाना में गजेन्द्र पिता मोतीराम त्रिवेदी के मकान से विनोद पिता बापुलाल त्रिवेदी के मकान तक की सीमा क्षेत्र,

में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से आवागमन नही करेंगे।

2 ऊपर वर्णित सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान/परिसर एवं जिम बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभाओं पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

3 किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

4 यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागु नही रहेगा।

5 यह प्रतिबन्ध चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर लागु नही होगा।

यह आदेश दिनांक 02.4.2021 को साय 05.00 बजे से लागू होकर दिनांक 16.04. 2021 को साय 05.00 तक प्रभावी रहेंगे। मै, सभी नागरिकों को इस आदेष की पालना करने तथा अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ।

उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेगें।

चूंकि इस आदेष की तामिल व्यक्तिषः कराना सम्भव नही है, इसलिए यह आदेष एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेष को राजस्व ग्राम भीमसोर, बोरी एवं रैयाना के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार–पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें।

02/04/21

Scanned by CamScanner

यह आदेश आज दिनांक 02.4.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

02/04/21

(अतुल प्रकाष)IAS
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
गढ़ी

प्रतिलिपि सूचनार्थ।

1 श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, बांसवाड़ा।
2 श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बांसवाड़ा।
3 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद् बांसवाड़ा।
4 श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, महोदय बांसवाड़ा।
5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा।
6 उप अधीक्षक पुलिस वृत बांसवाडा।
7 तहसीलदार गढी/अरथूना को भेज कर लेख है कि उक्त आदेष का व्यापक प्रचार–प्रसार करावें।
8 विकास अधिकारी पंचायत समिति, गढी/अरथूना को भेज कर लेख है कि उक्त आदेष का व्यापक प्रचार–प्रसार करावें एंव उक्त क्षेत्र में दैनिक उपयोग की सामग्री यथा दुध, पानी, सब्जी की वैकल्पिक व्यवस्था कराना सुनिष्चित करावें।
9 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
10 अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परतापुर–गढ़ी।
11 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परतापुर।
12 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को भेज कर लेख है कि उक्त आदेष का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानिय समाचार–पत्रों के माध्यम से कराते हुऐ जनसाधारण को अवगत करावें।
13 थानाधिकारी पुलिस थाना गढी/अरथूना को भेज कर लेख है कि उक्त आदेष का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें तथा अक्षरषः इसकी पालना सुनिष्चित् कराई जावें।
14 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
15 निजी सहायक श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, बांसवाड़ा।

02/04/21

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
गढ़ी

Scanned by CamScanner